Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Miscellaneous Case No.- 119/2024]

Ajay Kumar Mandal.....Appellant

Versus

The State of Bihar and Other .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.2.2026	**आदेश** यह विविध वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या-4179/2020 में दिनांक-09.10.2023 में पारित आदेश के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा के अल्पकालीन बन्दोबस्ती आदेश पत्रांक-354 दिनांक-01.8.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-695 दिनांक-01.4.2025 एवं पत्रांक-2097 दिनांक-29.10.2025 अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक-1351 दिनांक-01.8.2025 तथा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-69 दिनांक-29.1.2026 से जवाब/लिखित बहस दाखिल है। दिनांक-31.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument का सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। तथा विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। Petitioner का अभिकथन है कि वे प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं। तथा उन्हें गोपालपुर मौजा स्थित (खाता पुराना-275 खेसरा-449, रकवा-97 डी.) पोखर का बन्दोबस्ती समक्ष प्राधिकार के स्तर से प्राप्त था। उनका कहना है कि पुराना कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में खाता-275, खेसरा-449 रकवा-97 डी. गैर मजरूआ आम किस्म तालाब के रूप में दर्ज है। तथा उक्त जमीन अंचल उदाकिशुनगंज के सैरात पंजी में भी दर्ज है। उनका कहना है कि जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना एवं ठोस कारण के परवाना बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार उनके द्वारा अप्लकालीन बन्दोबस्ती आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी-4 (रजनीश कुमार) का अभिकथन है कि मौजा गोपालपुर स्थित प्रश्नगत जमीन प्रेम कुमार सिंह, पिता-मंदेश्वर प्रसाद सिंह की खतियानी जमीन है। तथा हाल सर्वे खतियान भी मंदेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से है। उनका कहना है कि वर्ष 2002 में प्रेम कुमार सिंह से प्रश्नगत जमीन विजेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा खरीदगी की गयी। निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या-6634 दिनांक-05.8.2016 द्वारा विजेश्वर प्रसाद सिंह को अंतिम रूप से प्रश्नगत जमीन प्राप्त हुआ तथा जमाबंदी संख्या-1959 विजेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से कायम हुआ। उनका कहना है कि अंचल उदाकिशुनगंज के सैरात रजिस्टर में प्रश्नगत जमीन दर्ज नहीं है। उनके द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा का कहना है कि गोपालपुर तालाब खाता संख्या-274, 275, खेसरा-2, 597, 771, 247, 449, रकवा-23.97 एकड़ का हस्तानान्तरण विभागीय निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज के पत्रांक-375-2 दिनांक-29.5.1992 के माध्यम से किया गया था। जिसमें प्रश्नगत खेसरा भी सम्मिलित है। हस्तांतरण के उपरांत एवं वर्ष 2018-19 तक समिति के साथ बंदोबस्ती होती रही है। उनका कहना है कि राजस्व विभाग के संकल्प-2443 दिनांक-26.12.1986 द्वारा सभी सैरात के जलकर को मत्स्य विभाग में हस्तानांतरण करने का निदेश है। तथा विभागीय सचिव के पत्रांक-103 दिनांक-	

	16.2.2026	23.1.1987 द्वारा सैरात की बंदोबस्ती किसी अन्य के द्वारा नहीं करना है। उक्त स्थिति में प्रश्नगत जलकर सैरात का बंदोबस्त नहीं होने से सरकारी राजस्व की क्षति की स्थिति बनती है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि गोपालपुर मौजा स्थित (खाता पुराना-275, खेसरा-449, रकवा-97 डी.) पोखर का स्वत्व विवादित रहने के स्थिति में जलकर का बन्दोबस्ती अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। दिनांक-19.7.2025 को सुनवाई के उपरांत जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सभी बिन्दुओं पर जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-69 दिनांक-29.1.2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि पुराना खतियान में खाता-275 अस्पष्ट/अपठनीय है एवं खेसरा-449 रकवा-97 डी. गैरमजरूआ आम किस्म पोखर है। तथा नया सर्वे खतियान में महेश्वर प्रसाद सिंह का नाम होने एवं पंजी-2 में भी महेश्वर प्रसाद सिंह का नाम अंकित है। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सरकारी अधिवक्ता के विधिक परामर्श के आलोक में यह प्रतिवेदित किया गया है कि हाल सर्वे खतियान महेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से होने की स्थिति में वर्ष 1977 से रैयती अधिकार महेश्वर प्रसाद सिंह का माना जाएगा। जबतक कि स्वत्व वाद में हाल सर्वे खतियान को विखंडित कर सरकार के पक्ष में आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है। अतः तदनुसार जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि तत्काल पुराना सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत सैरात को गैर मजरूआ आम घोषित करने हेतु सक्षम न्यायालय (Civil Court) में स्वत्व वाद दायर करेंगे। तथा इस मामले में Civil Court में चल रहे विभिन्न वादों में सरकार का पक्ष रखना सुनिश्चित करें। साथ ही इस मामले को विभाग/मत्स्य निदेशालय को सूचित करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन/निदेश प्राप्त कर लेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति उभय पक्ष, समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना को भेजें। Rajiv K. 16/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Rajiv K. 16/2/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा